

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग  
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-योजना-47/2020-  
प्रेषक,

1980/19

/पटना, दिनांक-05-02-2020

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।  
सेवा में,

समी कार्यपालक अभियन्ता,  
लघु सिंचाई प्रमण्डल, .....

समी अधीक्षण अभियन्ता,  
लघु सिंचाई अंचल, .....

समी मुख्य अभियन्ता,  
लघु जल संसाधन विभाग, .....

विषय:-सतही सिंचाई योजनाओं के आवंटन के अधियाचना के सम्बन्ध में।  
प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-154 (मो०), पटना, दिनांक-28.01.2020

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि सतही सिंचाई योजनाओं पर कराये गये समी कार्यों के लिए अधियाचना विहित प्रपत्र में की जायगी। इसके लिए विभागीय पत्रांक-163 (मो०), पटना, दिनांक-31.01.2020 द्वारा प्रपत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है।

कार्यपालक अभियन्ता अधियाचना तैयार कर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा जिला पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ही विभाग को उपलब्ध करायेंगे। विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित अधियाचना के पश्चात् ही आवंटन निर्गत किया जायगा।

अतः अनुरोध है कि कराये गये कार्यों के लिए अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर एवं जिला पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि आवंटन निर्गत किया जा सके।

अनु०- विहित प्रपत्र एवं  
प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति।

विश्वासभाजन,

27/1/2020  
अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।